

पार्सल

- आप अपने पार्सल कहीं बुक करा सकते हैं:-
पार्सल केवल उन स्टेशनों के लिए एवं उन स्टेशनों से ही बुक किया जा सकता है जो स्टेशन पार्सल यातायात के लिए खुले हैं। इस रेलवे के सभी प्रमुख स्टेशनों पर पार्सल यातायात की सुविधा उपलब्ध है। आप 9:00 बजे से 17:00 बजे तक स्टेशन के पार्सल कार्यालय में अपने पार्सल बुक करा सकते हैं।
- कैसे बुक करें:-
 - क. अपना पार्सल ठीक से पैक करें।
 - ख. पैकेज पर अपना नाम, पता तथा प्रारंभ एवं गंतव्य स्टेशन के नाम लिखें।
 - ग. अपना पार्सल बुकिंग हेतु स्टेशन के पार्सल/सामान कार्यालय में लायें।
 - घ. पार्सल/सामान कार्यालय में अग्रेषण पत्र भर कर जमा करें।
 - च. शुल्क का भुगतान कर रेल कर्मी से रसीद प्राप्त करें।
- सुपुर्दगी कैसे लें:-
 - क. पार्सल कार्यालय में पार्सल वे बिल प्रस्तुत करें।
 - ख. यदि कोई अतिरिक्त शुल्क हो तो जमा करें।
 - ग. अपने पार्सल की जाँच करें।
 - घ. अपना पार्सल प्राप्त करें।
- पार्सल से सम्बंधित कुछ नियम:-
 - सभी पार्सल ठीक ढंग से सुरक्षित बॉक्स में, मजबूत टोकरी में या मजबूत कपड़ों आदि में पैक किया जाना चाहिए ताकि रेलों पर परिवहन यानांतरण तथा सम्हालने में कठिनाई ना हो।
 - पार्सल जो भेजे जाने के लिए तैयार है, उन पर भेजने वाले का नाम, पाने वाले का नाम एवं पूर्ण पता, प्रारंभिक स्टेशन का नाम, गंतव्य स्टेशन का नाम तथा रेलवे का नाम स्पष्ट रूप से अंग्रेजी एवं हिंदी में पढने योग्य लिखावट में प्रत्येक पैकेज पर लिखा होना चाहिए ताकि सुपुर्दगी ना होने पर स्टेशन मास्टर द्वारा संपर्क किया जा सके।
 - जिन स्टेशनों में एक से ज्यादा पार्सल बुकिंग कार्यालय या पार्सल सुपुर्दगी कार्यालय हो उन स्टेशनों को बुक किए गए पैकेजों पर स्पष्ट रूप से मार्का होना चाहिए ताकि सुपुर्दगी में कोई कठिनाई ना हो।
 - सभी पार्सल भार के आधार या माप के आधार जो भी अधिक हो पर प्रभारित किये जाते हैं।
 - सभी पैकेजों को भेजने वाले व्यक्ति या उसके अधिकृत एजेंट की उपस्थिति में ही तौल मशीन पर तौला जायेगा।
 - रेल रसीद पर अंकित पैकेजों की संख्या और वजन प्रथम दृष्टया स्वीकार्य होता है।
 - पार्सलों की गलत धोषण एक कानूनी जुर्म है। पार्सल की गलत धोषणा करने पर धोषणा करने वाले व्यक्ति को मजिस्ट्रेट द्वारा सजा देने का प्रावधान है। इसके अलावा सामान्य पार्सल दर के तहत प्रति क्विंटल एवं उसके भाग पर रूपये 500 तक जुर्माने का प्रावधान है।

Parcel

- Where can you book your parcels from?
Parcels can be booked for and from those stations only which are opened for parcel traffic. Parcel traffic facility is available at all major stations of this Railway during 09:00 AM to 17:00 PM.
- How to book?
 - (a) Pack your parcel/luggage properly.
 - (b) Write names, complete address of sender & receiver, code of originating and destination stations on the packages.
 - (c) Bring your luggage to the parcel/luggage office of the station for booking.
 - (d) Fill up the forwarding note and submit it to the parcel/luggage office.
 - (e) Pay the charge and get the money receipt from the Railway Personnel.
- How to take delivery?
 - (a) Present the parcel way bill at the Parcel Office.
 - (b) Pay additional charge, if any.
 - (c) Check your parcel.
 - (d) Receive your parcel.
- Some rules related to Parcel:-

All parcels should be properly packed in secure boxes, strong baskets or strong cloth etc. so that it can easily be transported, transited/handled.
- The name of the consignor, the name and full address of the consignee, the name of originating station, destination station and the name of the railway on the parcels which are ready to be dispatched shall be clearly written on each package in Hindi and English so that Station Master can contact the consignee in case of non-delivery.
- In case of stations having more than one parcel booking offices or parcel delivery offices, packages which are booked for those stations should contain specific mark to avoid inconvenience in delivery.
- All parcels are charged on weight basis or measurement basis whichever is higher.
- All packages will be weighted on the weighing machine only in presence of the consignor or his authorized agent.
- The number and weight of the packages mentioned on railway receipt are prima facie acceptable.
- Mis-declaration of Parcel is a legal offence. There is a provision for imposition of fine by Magistrate against the person making wrong declaration of parcel. In addition to, a penalty of Rs.500/- per quintal or part thereof.